न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

226

समक्ष - आशीष श्रीवास्तव

सदस्य

अपील प्रकरण क्रमांक ए/10-4/आर/333/93 विरूध्द आदेश दिनांक 17/6/1992 पारित व्दारा कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के अपील प्रकरण क्रमांक 82/90-91.

रामकृपाल सिंह पुत्र श्री महावल सिंह गौड
आयु 50 वर्ष लगभग व्यवसाय काश्तकारी
निवासी ग्राम डालापीपर तहसील मछौली जिला सीधी म0 प्र0

-अपीलार्थी

- विरूध्द -

1 बुध्द सेन सिंह पुत्र श्री वेन सिंह गोड
निवासी ग्राम डालापीपर तहसील मछौली
जिला सीधी म0 प्र0
2 मध्यप्रदेश शासन

-प्रत्यर्थीगण

श्री प्रदीप श्रीवास्तव, अभिभाषक, अपीलार्थी
श्री आर0 डी0 शर्मा, अभिभाषक, प्रत्यर्थी क्रमांक 1

आ दे श

(आज दिनांक 31/03/2016 को पारित)

यह अपील प्र क्र ए/10-4/आर/333/93 रा.मं. में म0 प्र0 भू'राजस्व संहिता 1959 (जिसे संक्षेप में बाद में केवल संहिता कहा जावेगा) की धारा 44 के अंतर्गत, कमिश्नर रीवा के प्र क्र 82/अपील/90-91 में पारित आदेश दि 17-6-92 के विरुद्ध संस्थित हुआ है.

यह प्रकरण क्र A/१०-४/R/३३३/९३ तृतीय अपील के रूप में वर्ष १९९३ में रा मं में प्रस्तुत हुआ था.

प्रकरण में दि २४-८-०९ को आवेदक अधिवक्ता द्वारा आवेदक रामकृपाल की मृत्यु हो चुकी होना बताते हुए उसके विधिक वारिसों की जानकारी देकर उन्हें रिकॉर्ड पर लेने का आवेदन दिया. आवेदन में रामकृपाल की मृत्यु की दिनांक नहीं लिखि थी. प्रकरण में सरपंच, ग्राम पंचायत टिकरी द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र के अनुसार रामकृपाल की मृत्यु की दिनांक १२-३-१९९५ थी.

रा मं में प्रकरण विभिन्न पेशियों पर इस वारिसाना आवेदन पर तर्क हेतु नियत हुआ.

दि ४-२-१६ को उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं ने इस आवेदन पर तर्क प्रस्तुत किए.

अनावेदक अधिवक्ता ने तर्क के साथ लिखित आवेदन देते हुए अपील इस कारण उपशमित होने से समाप्त किए जाने का निवेदन किया कि (१) आवेदक की मृत्यु के अधिकतम ९० दिन के भीतर परिसीमा अधिनियम, १९६३ के अनुच्छेद १२० के अनुसार मृत्य की सूचना और वारिसाना आवेदन दिया जाना था जो नहीं दिया गया, (२) इस आवेदन के साथ आवेदक का मृत्यु प्रमाण पत्र और शपथ पत्र

भी नहीं दिए, और (३) तृतीय अपील का प्रावधान नहीं है, निगरानी की जानी चाहिए थी.

आवेदक अधिवक्ता का तर्क था कि तृतीय अपील को निगरानी में परिवर्तित मानकर यह न्यायालय सुनवाई कर सकता है. इस आधार पर आगे सुनवाई की मांग की.

परिसीमा अधिनियम, १९६३ के अनुच्छेद १२० के अनुसार आवेदक की मृत्यु के अधिकतम ९० दिन के भीतर उसके विधिक वारिसों को पक्षकार बनाया जाना अपेक्षित है.

"120	Under the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908), to have the legal representative of a deceased plaintiff or appellant or of a deceased defendant or respondent, made a party.	Ninety days	The date of death of the plaintiff, appellant, defendant or respondent as the case may be ."

स्पष्टतः इस प्रकरण में ऐसा नहीं हुआ है. आवेदक की मृत्य १९९५ में हुई होने का प्रमाण पत्र प्रकरण में अवस्थित है, आवेदक अधिवक्ता ने अनेक अवसरों के बावजूद किसी अन्य मृत्यु दिनांक का कोई अन्य वैध मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया है, और उन्होंने वारिसाना आवेदन २००९ में लगाया है जो स्पष्टतः ९० दिन की परिसीमा से कहीं अधिक है, और इस आवेदन के साथ इतने अधिक विलम्ब के कोई भी कारण प्रस्तुत नहीं किये हैं और शपथ पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया है.

इसके प्रकाश में मुझे इस बात का समाधान हो गया है कि आवेदकपक्ष इस प्रकरण में पैरवी के प्रति पर्याप्त तौर पर गम्भीर नहीं हैं और लापरवाही बरत रहे हैं जिस कारण इतने अधिक विलम्ब को माफ़ नहीं किया जा सकता.

अतः, मैं यह प्रकरण उपशमित हुआ मानकर इस न्यायालय से इसी प्रक्रम पर ख़ारिज करता हूँ.

आदेश पारित.

पक्षकार सूचित हों.

अभिलेख वापस हों.

प्रकरण समाप्त.

दा द हो.

(आशीष श्रीवास्तव)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश
ग्वालियर